भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4496

(दिनांक 20.08.2025 को उत्तर देने के लिए)

उच्च-टीआरपी समाचारों को प्राथमिकता देना

4496. श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान में समाचार चैनलों का मूल्यांकन टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) के आधार पर किया जाता है जिसके कारण उच्च-टीआरपी वाले समाचारों को प्राथमिकता दी जाती है जबकि कम टीआरपी रेटिंग वाले राष्ट्रीय हित के महत्वपूर्ण समाचारों की उपेक्षा की जाती है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस प्रथा से समाचार चैनलों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और उनकी विश्वसनीयता में गिरावट आ सकती है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार टीआरपी मूल्यांकन प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): पंजीकृत ऑडियंस रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) किसी निश्चित समय के दौरान किसी विशेष चैनल या कार्यक्रम के दर्शकों की संख्या को मापते हैं। अलग-अलग चैनल किसी विशेष कार्यक्रम या समाचार की प्राथमिकता तय करते हैं।

सरकार ने टेलीविजन दर्शक संख्या मापन प्रणाली में सुधार प्रस्तावित किए हैं।

भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए मौजूदा नीतिगत दिशानिर्देशों में मसौदा संशोधन सार्वजनिक परामर्श के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए हैं।

प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सक्षम बनाना, अधिक सटीक और प्रतिनिधि डेटा सृजित करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि टीआरपी प्रणाली देश भर के दर्शकों की मीडिया उपभोग की विविध और बदलती आदतों को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करे।

*****